

अनुदान संख्या 96 - दमन और दीव
GRANT No. 96-DAMAN AND DIU

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 268,16,00 | 241,68,34 | -26,47,66 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 25,76,00 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 30,37,00 | 30,36,15 | -85 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------|
| क- गृह मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2053" जिला प्रशासन | A- Ministry of Home Affairs Major Head "2053" District Administration | | | | |
| मू. | O. | 116.00 | 257.43 | 255.67 | -1.76 |
| पु. | R. | 141.43 | | | |
| घ- विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2801" बिजली | D- Ministry of Power Major Head "2801" Power | | | | |
| मू. | O. | 20696.00 | 18150.01 | 18149.03 | -0.98 |
| पु. | R. | -2545.99 | | | |

(I) 21.95 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" - "संचरण तथा वितरण - अन्य व्यय - अनुरक्षण और मरम्मत" के अंतर्गत 2550.00 लाख रु. की बचत (20400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाजार संकट और सामान्य अर्थव्यवस्था में मंदी होने की वजह से कुछ मुख्य बुनाई/प्लास्टिक इकाइयों में उत्पादन कम होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुमानित मांग में गिरावट आने और साथ ही विद्युत खरीद की औसत दर में गिरावट आने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 75.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2053" - "जिला स्थापना - दमन और दीव" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 139.67 लाख रु. का अधिक व्यय (116.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दमनगंगा का पुल टूटने पर दिवंगत हुए कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों को मुआवजे की अदायगी किए जाने और लोगों को नानी दमन से मोती दमन तक लाने-ले जाने के लिए बसों और नावों के किराया प्रभारों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 192.19 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 207 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार हुई/हुआ:-

(I) 8.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.25 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत हुए 57.40 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of Rs.21.95 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads.

(II) Under Major Head "2801"- "Transmission and Distribution - Other Expenditure - Maintenance and Repairs" - saving of Rs.2550.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20400.00 lakhs) was due to shortfall in the estimated demand for power supply during the year due to reduction of production in some major Texturising/Plastic Units owing to market crisis and over all slowdown of general economy and also due to decrease in average rate of power purchase.

(III) Under one head saving of Rs.75.00 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2053" - "District Establishments - Daman and Diu" - excess of Rs.139.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.116.00 lakhs) was due to payment of compensation to the bereaved families of officials who died in the collapse of Damanganga Bridge and payment of hire charges of buses and ferryboats for commuting people from Nani Daman to Moti Daman and vice versa.

(II) Under three heads excess of Rs.192.19 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent to 207 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred as under:-

(I) Provision of Rs.8.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under one head saving of Rs.82.25 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by an excess of Rs.57.40 lakhs under one head constituting 33 percent of the sanctioned provision.